झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा

एकादश–सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 04 श्रावण, 1935 (श0) / 26 जुलाई, 2013 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0 स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01.	अ0सू0–02	श्री गोपाल कृष्ण पातर	अस्पताल का निर्माण।	स्वा0चि0 एवं परि0क0	23.07.2013
02.	अ0सू0–05	श्री चन्द्रिका महथा	महिला एवं पुरूष चिकित्सकों की प्रति नियुक्ति।	" "	23.07.2013
03.	अ0सू0–22	श्री जगरनाथ महतो	स्टेडियम का निर्माण।	मानव संसाधन	23.07.2013
04.	अ0सू0–10	श्री विनोद कुमार सिंह	अपहरण एवं हत्या के मामले में गिरफ्तारी।	गृह	23.07.2013
05.	अ0सू0–01	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वा0चि0 एवं परि0 क0	23.07.2013
06.	अ0सू0–14	श्री अरविन्द कुमार सिंह	कस्तुरबा विद्यालय खोलने के संबंध में।	मानव संसाधन	23.07.2013
07.	अ0सू0– 04	श्री अनन्त प्रताप देव	चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति।	स्वा0चि0एवं प0क0	23.07.2013
08.	अ0सू0– 20	श्री समरेश सिंह	डिग्री महाविद्यालय को अंगीभूत करना।	मानव संसाधन	23.07.2013

कृ0पृ0उ0

09.	अ0सू0—03	श्री गोपाल कृष्ण पातर	ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण।	स्वा0चि0 एवं प0क0	23.07.2013
10.	अ0सू0—08	श्री प्रदीप यादव	अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना।	कार्मिक एवं प्र0सु0 एवं रा0	23.07.2013
11.	अ0सू0—12	श्रीमती गीताश्री उराँव	पुलिस पिकेट का निर्माण।	गृह	23.07.2013
12.	अ0सू0—16	श्री चन्द्रिका महथा	मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करना।	मानव संसाधन	23.07.2013
13.	अ0सू0—21	श्री अरविन्द कुमार सिंह	मजदूरों की पुनर्बहाली	श्रम नि0 एवं प्र0	23.07.2013
14.	अ0सू0—23	श्री सौरभ नारायण सिंह	ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण।	मानव संसाधन	23.07.2013
15.	अ0सू0—19	श्री रामदास सोरेन	विद्यालयों के कमरों एवं चाहरदीवारी का निर्माण।	मानव संसाधन	23.07.2013
16.	अ0सू0—7	श्रीमती कुन्ती देवी	समिति द्वारा अनुदान की अनुशंसा।	स्वास्थ्य चि0 एवं प0क0	23.07.2013
17.	अ0सू0—11	श्री विनोद कुमार सिंह	हत्यारों की गिरफ्तारी।	गृह	23.07.2013
18.	अ0सू0—13	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	उच्च विद्यालय में प्लस टू की पढ़ाई।	मानव संसाधन	23.07.2013
19.	अ0सू0—6	श्री बंधु तिर्की	रिम्स विनियमावली की स्वीकृति।	स्वास्थ्य चि0 एवं प0क0	23.07.2013
20.	अ0सू0—9	श्री सौरभ नारायण सिंह	फायरिंग रेंज का स्थानांतरण।	गृह	23.07.2013
21.	अ0सू0—15	श्रीमती सुधा चौधरी	दोषियों पर कार्रवाई।	मानव संसाधन	23.07.2013
22.	अ0सू0—17	श्री प्रदीप यादव	मदरसों को अनुदान।	मानव संसाधन	23.07.2013
23.	अ0सू0—18	श्री बंधु तिर्की	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन।	मानव संसाधन	23.07.2013

राँची,
दिनांक—26 जुलाई, 2013(ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञापांक—प्रश्न—17/2011—150/वि0स0, राँची, दिनांक— 24 जुलाई, 2013 ई0।

प्रतिलिपिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/~~उप मुख्यमंत्रिगण~~/अन्य मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/2013
(रविशंकर पाण्डेय)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञापांक— प्रश्न— 17/2011—150/वि0स0, राँची, दिनांक— 24 जुलाई, 2013 ई0।

प्रतिलिपिः— माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव(प्रश्न) के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24/7/2013
अवर सचिव, झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

24/7/13

(1)

माननीय विधायक श्री गोपाल सिंह पातर द्वारा दिनांक 26.07.13 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 स0–02 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राँची के बुण्डु प्रखण्ड अन्तर्गत एन0एच0–33 पर सूर्य मन्दिर के पहले यादव होटल के समीप निर्माणाधीन अस्पताल का निर्माण कार्य विगत पाँच वर्षो से भी अधिक समय से लम्बित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है;	स्वीकारात्मक है ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर संचालित कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय प0– 161(3)ब, दि0– 15.01.07 द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल, बुण्डू के भवन निर्माण हेतु 2,81,36,691/– रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी । जिसके विरुद्ध 2.75 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था । मुख्य भवन का जोड़ाई, ढ़लाई कार्य, सीढ़ी, अन्दर–बाहर प्लास्टर कार्य, ग्रिल एवं चौखट कार्य पूर्ण हो चुका है । पुनः उपायुक्त, राँची के प0– 122(1), दि0– 08.07.13 द्वारा 5,24,35,700/– रुपए की लागत पर प्राक्कलन पुनरीक्षण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिसपर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के बिन्दु पर निर्णयोपरान्त अवशेष योजना कार्य हेतु राशि आवंटित कर अवशेष योजना कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0यो0 (वि0स0)– 06/13– 366(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 25.7.13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–77/वि0स0, दिनांक 23.07.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

(2)

श्री चन्द्रिका महता, स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 26.07.13 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–सं–05 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री चन्द्रिका महता, स० वि० स० सं0	उत्तरदाता– श्रीमती अन्नपूर्णा देवी प्रभारी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड में (सी0एच0सी0) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थित है जिसमें नियमानुसार चिकित्सक के कुल चार पद सृजित है।	स्वीकारात्मक। उक्त चार पद के अतिरिक्त तीन नये पद–फिजीशियन–1, शिशू रोग विशेषज्ञ–1, तथा दंत सर्जन–1 के पद जून 2013 में सृजित किये गये है।
2	क्या यह बात सही है कि जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक भी महिला चिकित्सक नहीं है, जिससे उक्त सुदूर क्षेत्र की महिलाओं को उपचार हेतु काफी दूर जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है ?	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार गिरिडीह जिला के जमुआ (सी0एच0सी0) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अविलंब महिला चिकित्सक के साथ चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभाग में महिला चिकित्सकों की कमी है। उपलब्धता के आधार पर महिला चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना की जाती है। बैक लॉग रिक्ति पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। साथ ही कंडिका 1 के उत्तर में अंकित नव सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक प्रक्रिया विभाग में गतिशील है। महिला चिकित्सा पदाधिकारी की उपलब्धता के आधार पर सी0एच0सी0 जमुआ में महिला चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना की जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03–02/13 852(3) राँची, दिनांक– 25/7/13

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 80 दिनांक 23.07.13 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

सरकार के उप सचिव

(3)

श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक 26.07.13 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० – 22 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स०	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मंत्री कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखंड में स्टेडियम निर्माण कार्य विगत 3 (तीन) वर्ष पूर्व से प्रारंभ किया गया है जो अभी तक अपूर्ण है ?	:	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि आज तक उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है?	:	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	:	उपायुक्त, गिरिडीह ने अपने पत्रांक 2209/वि०, दिनांक 12.12.2012 द्वारा सूचित किया है कि जमीन विवाद के कारण झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य बन्द है। मा० उच्च न्यायालय के न्यायादेशोंपरांत. उपायुक्त, गिरिडीह से प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांकः 1/वि०स०–82/2013/क०......656/ राँची, दिनांक......25/7/13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 96 दिनांक 23.07.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/7

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

D:\N.K.Prasad\2013\Jan,13\Vidhansava Question.doc

(5)

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–26.07.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–10 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गत 31 जनवरी 2013 को गिरिडीह जिला के बिरनी में (ग्राम–टाटो) 13 वर्ष के छात्र विकास कुमार वर्मा का अपहरण कर हत्या कर दी गयी ?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है आज छः माह बाद भी पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नही कर पायी है ?	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार हत्यारों की गिरफ्तारी कब तक करना चाहती है ?	कांड अनुसंधानान्तर्गत है, निकट भविष्य में कांड के उदभेदन होने पर हत्यारों की गिरफ्तारी संभावित है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–5 / वि०स०(10)–02 / 2013...3170.../ राँची, दिनांक–25/07/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(5)

माननीय विधायक श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा दिनांक 26.07.13 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 स0–01 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के चिनियाँ प्रखण्ड के पंचायत 1– बीलायती खेर, 2– बैता, 3–खूरी, 4– हेताड़कला एवं रंका प्रखण्ड के पंचायत 1–दुधवल, 2–चुतरो, 3–चुटियाँ, 4–कटरा, 5–सिरोई खुर्द, 6–खरडीहा, 7–खरडीहा, 7–सौनदाग, 8–तगनेकला, 9– हपरो, 10– मानपुर, 11– बहाहारा पंचायतों में अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का सृजन नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गढ़वा जिला के चिनियाँ प्रखण्ड अन्तर्गत बेता– पूर्व से स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत एवं कार्यरत है । हेताड़कला– जिला कार्य योजना की सूची में स्वास्थ्य उप केन्द्र प्रस्तावित नहीं है । वितायती खेरा एवं खूरी– जिला कार्य योजना की सूची में स्वास्थ्य उप केन्द्र प्रस्तावित है । रंका प्रखण्ड दुधवल– स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति में है । खरडीहा– पूर्व से स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत एवं कार्यरत है । चुटिया– जिला कार्य योजना की सूची में स्वास्थ्य उप केन्द्र प्रस्तावित नहीं है । चुटरो, कटरा, सिरोईखूर्द, सोनदाग, तगमेखुर्द, खपरो, मानपुर, बहाहारा– जिला कार्य योजना की सूची में स्वास्थ्य उप केन्द्र प्रस्तावित है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं होने के कारण उक्त पंचायतों में निवास करने वाले गरीब ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है,	अस्वीकारात्मक है । ग्रामीणों को समीपवर्त्ती स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है । नियमित टीकाकरण एवं अन्य सुविधा दी जा रही है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गढ़वा के रंका, चिनियाँ प्रखण्ड के उपरोक्त पंचायतों में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला कार्य योजना की सूची में प्रस्तावित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य बजट अधिसीमा अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर की जा रही है । बजट उपबंध एवं भूमि उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन निर्माण के बिन्दु पर अगले वित्तीय वर्ष में निर्णय लिया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0यो0(वि0स0)– 05/13– 365(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 25.7.13

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–76/वि0स0, दिनांक 23.07.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

(06)

1407
25/7/13

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री अरविन्द कुमार सिंह, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–14

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि ईचागढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुकडु प्रखण्ड में एक भी कस्तूरबा विद्यालय नहीं है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नव सृजित प्रखण्डों में केन्द्र प्रायोजित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा वर्ष 2013–14 की कार्ययोजना एवं बजट में भारत सरकार को भेजा गया था। परन्तु भारत सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड अन्तर्गत कस्तूरबा विद्यालय नहीं होने से वहाँ के विद्यार्थी पठन–पाठन से वंचित हैं;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कुकडु प्रखण्ड ईचागढ़ एवं नीमडीह प्रखण्डों के कुछ पंचायतों से कट कर बना है। ईचागढ़ एवं नीमडीह के वैसे पंचायत जो अब कुकडु प्रखण्ड के अन्तर्गत है, की बालिकाएँ ईचागढ़ एवं नीमडीह प्रखण्डों में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में पठन–पाठन की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो कुकडु प्रखण्ड अन्तर्गत कस्तूरबा विद्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

Mamta 25/7/13
(ममता)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा–सह–
संयुक्त सचिव, झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/अ.7–02/2013–1407/राँची, दिनांक– 25/7/13

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 89, दिनांक 23.07.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mamta 25/7/13
(ममता)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा–सह–
संयुक्त सचिव, झारखण्ड।

(7)

माननीय विधायक श्री अनन्त प्रताप देव द्वारा दिनांक 26.07.13 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 स0–04 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगरउँटारी में ट्रोमा सेन्टर तथा रमना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रमना का भवन वर्ष 2011–2012 से बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक है ।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों अस्पतालों में अभी तक स्थायी रुप से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति तथा संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो पाई है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है । ट्रोमा सेन्टर नगरउँटारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रमना में पूर्व से चिकित्सकों का पद स्वीकृत नहीं रहने के कारण चिकित्सकों का स्थाई पदस्थापन नहीं किया जा सका है । ट्रोमा सेन्टर नगरउँटारी में दिसम्बर 2012 में डॉ0 राम प्रकाश शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी । वे दि0– 15.01.13 को योगदान कर अनुपस्थित है । उनके विरुद्ध विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रमना में अनुमण्डलीय अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सप्ताह मे एक दिन मरीजों को देखा जा रहा है । एन0आर0एच0एम0 द्वारा अनुबंध के आधार पर 2 ए0एन0एम0 नियुक्त होकर कार्यरत है । वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के आवंटन से न्यूनतम संसाधनों की व्यवस्था की गई है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त दोनों अस्पतालों में स्थाई रुप से चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति तथा संसाधनों की व्यवस्था कर नियमित रुप से चालू कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प सं0– 707(3), दि0– 17.06.13 द्वारा ट्रोमा सेन्टर के लिए 2 चिकित्सक, 3 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 18 पारामेडिकल कर्मी तथा अन्य कर्मी का पद सृजित किया गया है । इन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है । विभागीय संकल्प सं0– 723(3), दि0– 20.06.13 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रमना के लिए एक चिकित्सक, एक शिशु रोग विशेषज्ञ, एक दन्त चिकित्सक सर्जन का पद सृजित किया गया है । इन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0यो0 (वि0स0)– 08/13– 368(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 25.7.13.

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–79/वि0स0, दिनांक 23.07.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

8

श्री समरेश सिंह स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-20

कमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 46 स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त तथा U.G.C.से पंजीकृत डिग्री महाविद्यालयों को अंगीभूत करने की प्रक्रिया विभाग में एक वर्ष से लंबित है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 46 स्थायी संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में से मात्र 33 महाविद्यालय ही यू0जी0सी0 से पंजीकृत है। विभागीय अधिसूचना संख्या 334 दिनांक 14.03.2012 के द्वारा राज्यान्तर्गत 46 स्थायी संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के समस्याओं के समाधान हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा-सह-संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या 1420 दिनांक 04.12.2012 के द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में इस समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें उपसचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची, कुलसचिव, विनाबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, कुलसचिव, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका तथा उप निदेशक, उच्च शिक्षा सदस्य है। इस समिति के द्वारा इन 46 महाविद्यालायों से संबंधित आवश्यक प्रतिवेदन एवं अभिलेख संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से मंगाई गयीं और उसकी समीक्षा विगत कई बैठकों में की गयी। सम्प्रति उक्त समिति द्वारा इन 46 स्थायी संबंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की समास्याओं के समाधान हेतु प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि 60% डिग्री महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में आते है, जहाँ के छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर लाभान्वित होते है।	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उन 46 डिग्री महाविद्यालयों को तुरत अंगीभूत करने का विचार कर रही है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका-1 में उल्लेखित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक : 5/वि2-03/2013 1173 रॉची, दिनांक 25/07/13

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक 95 दिनांक 23.7.13 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के उप सचिव।

9

मानननीय विधायक श्री गोपाल सिंह पातर द्वारा दिनांक 26.07.13 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 स0-03 से संबंधित उत्तर सामग्री

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि राँची से जमशेदपुर मार्ग पर बुण्डु-तमाड़ के आस-पास ईलाकों में विगत कुछ वर्षो से सड़क दुर्घटना में इजाफा हुआ है तथा उक्त मार्ग पर प्रस्तावित ट्रोमा सेन्टर के निर्माण नहीं होने से हताहतों को राहत पहुँचाने में काफी विलम्ब हो जाता है;		स्वीकारात्मक है ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार प्रस्तावित ट्रोमा सेन्टर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		राँची जिला के तमाड़ सहित राज्य के सर्वाधिक दुर्घटना प्रभावित अन्य 11 स्थानों (राष्ट्रीय राजमार्गो) पर केन्द्रीय योजनागत योजनान्तर्गत ट्रोमा सेन्टर स्थापित करने की स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्रांक 197(5), दिनांक 19.05.12 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक 389(5), दिनांक 21.07.12 एवं 781(5), दिनांक 11.12.12 द्वारा स्मारित भी किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ट्रॉमा सेन्टर स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक-6/पी0यो0 (वि0स0)- 07/13- 367(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 25.7.13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0-78/वि0स0, दिनांक 23.07.13 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

सरकार के उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

(10)

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.07.2013 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0स0–08 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के घटवार, घटवाल, भूईयां एवं खेतौरी जाति के लोग अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में लिये जाने की मांग को लेकर वर्षो से आन्दोलनरत है ?	इस विषय पर विभाग में ज्ञापन प्राप्त होते रहे है।
2	क्या उपरोक्त जाति के लोगों को अभी किसी भी श्रेणी का लाभ नहीं मिल रहा है ?	अस्वीकारात्मक है। घटवार जाति झारखण्ड पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–07 तथा खतौरी जाति (अनुसूची–1) क्रमांक–15 पर अवस्थित है, जबकि भुइया जाति झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–04 पर पूर्व से दर्ज है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इन्हे अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	**खेतौरी जाति** खेतौरी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय (दिनांक– 23.11.2004) के आलोक में भारत सरकार को अनुशंसा प्रेषित की गयी थी। ((विभागीय पत्रांक– 6336 दिनांक–08.12.2004) भारत सरकार द्वारा इस जाति के संबंध में विहित प्रपत्र में इथनोग्राफिक विवरण की माँग की गई।(पत्रांक–12016/11/2001 TA (RL) दिनांक–15.04.2005) झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से विहित प्रपत्र में इथनोग्राफिक विवरण प्राप्त हुआ। इसमें खेतौरी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त प्रतिवेदन अनुकूल न रहने के कारण इस जाति की इथनोग्राफिक विवरण भारत सरकार को नहीं भेजा गया है। **घटवार जाति** घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय (दिनांक– 23.11.2004) के आलोक में विभाग द्वारा भारत सरकार को अनुशंसा प्रेषित की गयी थी। भारत सरकार द्वारा इस जाति के संबंध

		में विहित प्रपत्र में इथनोग्राफिक विवरण की माँग की गई। झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त इथनोग्राफिक विवरण में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुकूल मंतव्य अंकित नहीं किया गया, अतएव इस पर कल्याण विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया। कल्याण विभाग द्वारा भी जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के मंतव्य पर सहमति व्यक्त की गई। उक्त स्थिति में इस पर पुर्नविचार हेतु मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। मंत्रिमंडल की बैठक (दिनांक–17.02.2012) में लिए गये निर्णय के आलोक में 'घटवार' जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के संबध में पुनः अध्ययन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया। (विभागीय पत्रांक– 1941 दिनांक–27.02.2012) झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से घटवार जाति के सम्बन्ध में प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में इस जाति को भुइया मानते हुए **अनुसूचित जाति** में रखने की अनुशंसा प्राप्त हुई है। "घटवार" जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर है। इसमें वर्णित तथ्यों के आलोक में शपथ पत्र/पूरक शपथ–पत्र दायर किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सम्प्रति प्रतीक्षारत है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–7/झा0वि0स0–07–01/2013 का0–6208 राँची, दिनांक–24 जुलाई,2013

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान को उनके ज्ञापांक–83 दिनांक– 23.07.2013 के प्रंसग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

(11)

श्रीमती गीताश्री उरांव, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–26.07.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–12 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के सिसई प्रखण्ड के आस–पास के गाँव उग्रवाद प्रभावित है तथा आए दिन इस क्षेत्र में घटनाएँ होते रहती है ?	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि सिसई प्रखण्ड के नगर ठिठई टांगर में पुलिस पिकेट की स्थापना नही की गयी है तथा ठिठई टांगर मुख्यालय से 15 कि०मी० दूर है ?	आंशिक स्वीकारात्मक। सिसई थाना अंतर्गत ठेठईटांगर में नही अपितु नगर में पुलिस पिकेट कार्यरत है।
3	क्या यह बात सही है कि 25 नवम्बर, 2012 को इसी क्षेत्र के दक्षिणी छोर में धनंजय हत्याकांड भी हुई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस करती है ?	यह बात सत्य है कि दिनांक–25.11.2012 के इसी क्षेत्र के दक्षिणी क्षोर में धनंजय हत्या काण्ड हुई थी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सिसई प्रखण्ड के नगर ठिठई टांगर के बाजार टांड में पुलिस पिकेट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	ठेठईटांगर से मात्र 07 किलोमीटर एवम् बाजार टांड से 4–5 कि०मी० की दूरी पर नगर में पुलिस पिकेट कार्यरत है, जिससे ठेठईटांगर एवं आस पास के क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०/01/2013 3696/ राँची, दिनांक–25/07/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.07.2013

सरकार के उप सचिव।

श्री चन्द्रिका महथा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-16

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

<table>
<tr><th>कमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है गिरिडीह जिला कि देवरी प्रखंड में मध्य विद्यालय असको एवं मध्य विद्यालय किसगो एवं प्रखंड जमुआ में मध्य विद्यालय, धुरगड़गी एवं मध्य विद्यालय चितरडीह अवस्थित है।</td><td>उत्तर स्वीकारात्मक है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड देवरी में मध्य विद्यालय असको एवं मध्य विद्यालय किसगो एवं प्रखंड जमुआ में मध्य विद्यालय, धुरगड़गी एवं मध्य विद्यालय चितरडीह के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है जबकि उक्त विद्यालयों में उत्क्रमण के लिए निर्धारित अर्हताएँ उपलब्ध है।</td><td>उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन विद्यालयों से उच्च विद्यालयों की दूरी निम्नवत् है :-
<table>
<tr><th>मध्य विद्यालय का नाम</th><th>उच्च विद्यालय का नाम</th><th>दूरी</th></tr>
<tr><td>मध्य विद्यालय अस्को</td><td>राजकीयकृत उच्च विद्यालय, रामपुर, भोरंजी</td><td>2 कि0मी0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">मध्य विद्यालय, किस्को</td><td>उच्च विद्यालय, भण्डारो</td><td>5 कि0मी0</td></tr>
<tr><td>बालिका उच्च विद्यालय, हीरोडीह</td><td>2 कि0मी0</td></tr>
<tr><td>मध्य विद्यालय, घुरगडग्गी</td><td>उच्च विद्यालय, तारा</td><td>5 कि0मी0</td></tr>
</table>
मध्य विद्यालय, चितरडीह को वर्ष 2006-07 में ही उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय मे उत्क्रमित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 5 किलोमीटर की परिधि में चरणबद्ध तरीके से उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है। खण्ड-2 से स्थिति स्पष्ट है कि 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। अतः प्रश्नाधीन विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
</table>

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-03/2013....1885..../ दिनांक....25-07-13....

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

13

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 26.07.2013 को पूछे जाने वाला अल्पसुचित प्रश्न संख्या– 21 का उत्तर :–

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरकर्त्ता
	श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा।	**श्रीमती अन्नपूर्णा देवी,** **माननीय मंत्री,** श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1	क्या यह बात सही है कि चाण्डिल अनुमण्डल अन्तर्गत बिहार स्पंज आयरन कम्पनी, 1989 चल रहा है जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं ?	यह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सरायकेला–खरसावाँ जिले के चाण्डिल अनुमण्डल के अन्तर्गत बिहार स्पंज आयरन कम्पनी वर्ष, 1989 से चल रही है। उक्त स्पंज आयरन कम्पनी में कुल कामगार 564 (पाँच सौ चौसठ) कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी के मैनेजमेन्ट द्वारा सैकड़ों कार्यरत कर्मचारियों जो आदिवासी मूलवासी है जिन्हें बिना नोटिस के कम्पनी ने कार्य से मई, 2013 ई० में निकाला गया है ?	यह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बिहार स्पंज आयरन कम्पनी प्रबंधन द्वारा दिनांक 15.07.2013 से 72 (बहत्तर) कामगारों को सूचना के बिना कम्पनी में कोयला एवं लौह अयस्क की कमी के कारण कार्य से हटाया गया है। सभी हटाये गये 72 (बहत्तर) कामगार मूलवासी आदिवासी नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मैनेजमेन्ट के उपर तथा निकाले गये मजदूरों को पुनः बहाल करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बिहार स्पंज आयरन कम्पनी में कोयला एवं लौह अयस्क की पर्याप्त आपूर्ति होने पर प्रबंधन द्वारा हटाये गये सभी 72 (बहत्तर) कामगारों को कार्य पर रख लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–01/श्रमा०का०(आई०डी०)–05-39/2013 श्र०नि० 1809 राँची दिनांक 25-7-13

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०प्र०–98 वि०स० दिनांक 23.07.2013 के अनुपालन में 200 (दो सौ) चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25-7-13

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(14)

श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स० द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक 26.07.13 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० – 23 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स०	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मंत्री कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखंड पदमा में पदमा गेट वॉली तालाब तथा इचाक प्रखण्ड के इचाक किला एवं वंशीधर मंदिर करीब सौ वर्ष पूराना हो चुका है ?	:	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्षो पुराने मंदिर एवं अन्य ऐंतिहासिक स्थलों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार सरकार का दायित्व है?	:	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खंड 2 में वर्णित स्थलों को जिर्णोद्धार एवं संरक्षण करना चाहती है, नही तो क्यों ?	:	वस्तुस्थिति यह है कि किसी भी पुरातात्विक स्थल को सुरक्षित घोषित करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ही इसका जिर्णोद्धार एवं संरक्षण किया जा सकता है। कुछ स्थलों का संरक्षण भारत सरकार द्वारा तथा कुछ स्थलों का संरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांकः 1/वि०स०–83/2013/क०...657.../ राँची, दिनांक 25/7/13

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 97 दिनांक 23.07.2013 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं सदन पर रखने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24/7

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

D:\N.K.Prasad\2013\Jan,13\Vidhansava Question.doc

15

1406
25/7/13

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री रामदास सोरेन, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–19

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखण्ड स्थित कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालय में 300 (तीन सौ) छात्राऍ पढ़ रहीं हैं जहॉं मात्र 02 (दो) कमरे ही हैं;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय, घाटशिला में 296 बालिकाऍं पढ़ रही है और इस विद्यालय के लिए रू. 40.00 लाख की लागत से दो मंजिला भवन बनाया गया है, जिसमें 5 वर्गकक्ष एवं 11 शयनकक्ष हैं। इस विद्यालय का भवन मध्य विद्यालय बराज कॉलोनी, घाटशिला की भूमि पर बना है, जिसका भी 2 वर्गकक्ष कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के द्वारा उपयोग किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(i) में वर्णित विद्यालय में छात्राओं के अनुपात में कक्षा एवं शौचालय नहीं होने के साथ–साथ चहारदीवारी भी नहीं है, जिससे छात्राऍ अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है;	उत्तर आंशिक रूप में स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय, घाटशिला में 8 शौचालय एवं 8 स्नानागार है। विद्यालय परिसर के चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। केन्द्र प्रायोजित बालिका छात्रावास योजना के अन्तर्गत इस कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के लिए भी एक छात्रावास स्वीकृत किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड–(i) में वर्णित विद्यालय में पर्याप्त कमरों के साथ–साथ चहारदिवारी निर्माण का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

Mamta 25/7/13
(ममता)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा–सह–
संयुक्त सचिव, झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/अ.7–01/2013..1406../रॉंची, दिनांक– ...25/7/13...

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 94, दिनांक 23.07.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mamta 25/7/13
(ममता)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा–सह–
संयुक्त सचिव, झारखण्ड।

श्रीमती कुन्ती देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.07.13 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 07 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्रीमती कुन्ती देवी मा0स0वि0स0, क्या मंत्री, स्वास्थ्य चि0शि0 एवं प0क0, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:–	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय, प्रभारी मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि ज्ञापांक 7(ए)/स्वा0 नीति–17–01/2011–03 (10) दिनांक– 15.03.12 के माध्यम से झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के एनेक्चर ए में उद्योग के रूप में शामिल स्वास्थ्य सेवा सेक्टर को औद्योगिक नीति का लाभ उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है, जो अनुदान की अनुशंसा हेतु सक्षम होगी ?	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि दिनांक– 15.03.12 से अभी तक उक्त समिति की कोई बैठक नहीं हुई है ?	स्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार स्वास्थ्य सेवा सेक्टर को औद्योगिक नीति का लाभ उपलब्ध कराने हेतु गठित समिति की बैठक आहूत कर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर अनुदान की अनुशंसा करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। उद्योग विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, उर्जा विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मनोनीत पदाधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। उद्योग विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग के पदाधिकारियों का मनोनयन पूर्व में किया गया है एवं उर्जा विभाग के प0– 845, दि0– 22.03.13 के तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पदाधिकारी का मनोनयन दि0– 16.05.13 को प्राप्त हुआ है । डॉ0 प्रकाश सिंह, निदेशक, डॉ0 ज्योतिर्भूषण, हेल्थ केयर, प्रा0 लि0, धनबाद का आवेदन प्राप्त है। प्राप्त आवेदन के आधार पर झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2001 के अनुसूची–II–ए में उद्योगों के रूप में शामिल कर स्वास्थ्य सेवा सेक्टर को औद्योगिक नीति का लाभ प्रदान करने हेतु निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के पत्रांक 723/24 दिनांक 01.04.13 द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच दल का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही गठित समिति की बैठक आहूत कर अनुशंसा पर विचार किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:– 10/क्यू0, वि0स0–01–04/2013 203(10) स्वा0/राँची/दिनांक:– 25/7/13

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 82 दिनांक– 23.07.13 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/13

सरकार के अवर सचिव।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

(17)

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–26.07.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–11 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गत 18 जून 2013 को गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के महेशकिशोर ग्राम में मीना हांसदा, स्कूली छात्रा की स्कूल से वापसी के दरम्यान बलात्कार कर हत्या कर दी गयी थी ?	स्वीकारात्मक है। इस संबंध में भेलवाघाटी थाना कांड सं०–11/13, दिनांक–20.06.2013 धारा –302/376 (जी०)/201/34 भा०द० वि०, 3 (i) (xii) अनु० जाति/ जनजाति अत्याचार निरोध अधि० एवं Pocso Act 2012 की धारा–6 वादी ठेना हांसदा, पे०–बुधु हांसदा के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध काण्ड दर्ज हुआ है।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस अब तक हत्यारे की शिनाख्त कर गिरफ्तारी नही कर पायी है ?	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार हत्यारे की गिरफ्तारी करते हुए राज्य में बढ़ते हुए महिलाओं पर हमले को रोकने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?	घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सभी संभावित प्रयास किए जा रहे है तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की सहायता ली जा रही है। संदिग्धों के खून के नमुने डी०एन०ए० प्रोफाइल बनाने एवं घटना स्थल पर पाए गए जैविक साक्ष्यों से मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राँची भेजा गया है। इस निमित गठित एक विशेष टीम द्वारा अनुसंधान में सहयोग किया जा रहा है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधो पर विशेष संवेदनशीलता दिखाई जा रही है तथा इस अपराधों को रोकने एवं त्वरित कार्रवाई करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–7/वि०स०–02/2013 3697/ राँची, दिनांक–25/07/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

सरकार के उप सचिव।

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-13		
क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है गढ़वा जिला के गढ़वा प्रखंड के 10 पंचायतों के बीच डुमरिया गोवावल उच्च विद्यालय है, जिसमें +2 की पढ़ाई नही हो रही है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के छात्राओं को +2 पढ़ाई हेतु 20 कि0मी0 दूर अन्य विद्यालयों में जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक एवं शारीरिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। गढ़वा प्रखण्ड में गोवावल उच्च विद्यालय, डुमरिया से 12 किलोमीटर की दूरी पर राजकीयकृत गोविन्द +2 उच्च विद्यालय, गढ़वा अवस्थित है, जिसमें प्रश्नाधीन विद्यालय के छात्र-छात्रा भी शिक्षा प्राप्त करते हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गोवावल क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की समस्या को देखते हुए डुमरिया गोवावल उच्च विद्यालय में +2 की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रथम चरण में राज्य सरकार ने राज्य के 230 प्रखण्डों में +2 विद्यालयों की स्थापना की है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 7-8 किलोमीटर की परिधि में +2 विद्यालयों की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित की गयी है। प्रश्नाधीन विद्यालय के संदर्भ में भी तद्नुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

25.7.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-01/2013......1886....../ दिनांक 25-07-13

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

19

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.07.13 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0– 06 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0, क्या मंत्री, स्वास्थ्य चि0शि0 एवं प0क0, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:–	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय, प्रभारी मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि रिम्स, राँची का गठन स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष, 2002 में किया गया, परन्तु अब तक रिम्स विनियमावली की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं दी गयी है, जिससे रिम्स गठन के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा बनी है ?	स्वीकारात्मक। रिम्स विनियमावली में वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। मंत्री, स्वास्थ्य (रिम्स शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष) के अनुमोदनोपरान्त पुनः वित्त, कार्मिक एवं विधि विभाग की सहमति के पश्चात् मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रिम्स विनियमावली की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:– 11/रिम्स, वि0स0– 05–01/2013 130 (11) स्वा0/राँची/दिनांक:– 25.07.2013

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 81 दिनांक 23.07.13 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/2013
सरकार के अवर सचिव।

20

श्री सौरभ नारायण सिंह, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–26.07.2013 को पूछे जानेवाले अ०सू०–09 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के सितागढ़ा पहाड़ी में (बी०एस०एफ०) के द्वारा जवानों को फायरिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि सितागढ़ा पहाड़ी के चारों ओर ग्राम कानीमुरवार, चन्दवारा, पौता, ओरिया, लालपुर, सिलवार, सीतागढा जैसे घनी आबादी वाले गाँव है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड दो में वर्णित गांवों के ग्रामीणों एवं मवेशियों की बी०एस०एफ० के जवानों द्वारा फायरिंग से मृत्यु हो चुकी है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2012–13 में बी०एस०एफ० के जवानों के द्वारा किए गए फायरिंग में नही अपितु बी०एस०एफ० जवानों द्वारा फायरिंग के पश्चात मिसफायर हुए अवशेष विस्फोटकों को वर्णित गाँवों के ग्रामीणों के द्वारा इकट्ठा करने के क्रम में विस्फोट होने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ग्रामीणों के सुरक्षा के लिए फायरिंग रेंज को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित करना चाहती है, नही तो क्यो ?	कंडिका 3 के आलोक में आवश्यक प्रतीत नही होती।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–5/वि०स०(10)–01/2013 3171 /   राँची, दिनांक–25/07/2013 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–84/वि०स०, दिनांक–23.07.2013 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

21

श्रीमती सुधा चौधरी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-15 क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है पलामू जिलान्तर्गत प्रखंड नौडीहा बाजार स्थित श्याम बिहारी सिंह राजकीयकृत उच्च विद्यालय, नामुदाग में 05 कमरों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में कुल दस लाख बीस हजार चार सौ रुपये विभाग द्वारा उपायुक्त, पलामू के निस्ताराधीन उपलब्ध कराया गया था।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी उपर्युक्त विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा है, जिसके कारण विद्यालय का पठन-पाठन कार्य प्रभावित है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। उक्त राशि से राजकीयकृत श्याम विहारी सिंह उच्च विद्यालय, नामूदाग में 05 कमरों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया था, जो वर्त्तमान में अधूरा है। सभी कमरों की छत ढ़लाई के बाद दो कमरों का दीवार अन्दर से प्लास्टर किया गया है। शेष 03 कमरों का प्लास्टर एवं सभी कमरों के खिड़की, दरवाजा एवं फर्श का कार्य अभी बाकी है। तथापि विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य पूर्व से निर्मित कमरों में संचालित हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार विलंब के लिए दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू द्वारा योजना पूर्ण करने तथा राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु निदेशक, डी0आर0डी0ए0, पलामू एवं उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, पलामू को पत्र प्रेषित किया गया है। मानव संसाधन विकास विभाग के स्तर से भी उपायुक्त से अनुरोध किया गया है कि जाँच कराते हुए भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय। पुनः उपायुक्त को स्मारित किया जा रहा है।

25.7.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-02/2013....1884..../ दिनांक....25-07-13..../

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-17

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में 592 मदरसें कार्यरत है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से प्राप्त करायी गयी सूचना के अनुसार 592 मदरसों के संदर्भ में स्थिति निम्नवत् है– मदरसों की संख्या : 590 प्राप्त प्रतिवेदनों की संख्या : 549 मदरसा, जो अस्तित्व में नहीं है : 29 ऐसे मदरसे, जिनके प्रतिवेदन अप्राप्त है : 12
2	क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त मदरसों को वित्तीय अनुदान देने का कैबिनेट से निर्णय दिसम्बर-2011 में लिया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। दिनांक 04.11.2011 को मद संख्या 17 के रूप में मंत्रिपरिषद् द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :- **"झारखण्ड राज्यान्तर्गत अवस्थित निबंधित मदरसों को प्रस्वीकृति प्रदान करने संबंधी समर्पित प्रस्ताव को संस्कृत विद्यालयों सहित स्वीकृत किया गया। यह कार्रवाई तीन माह में पूरी की जाय।** **अनुदान संबंधी बिन्दु पर अन्य राज्यों का पुनः अध्ययन कर अलग से प्रस्ताव लाया जाय।"**
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त निर्णय के बाद भी 592 मदरसें अनुदान लाभ से अब तक वंचित है।	इस खंड का उत्तर खंड-2 में सन्निहित है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा 549 मदरसों की प्रस्वीकृति पर विचार किया गया। इसमें से 531 मदरसों में निबंधित भूमि एवं आधारभूत संरचना की कमी के कारण प्रस्वीकृति की अनुशंसा नहीं की जा सकी है। शेष 18 मदरसों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें से 6 मदरसों को प्रस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 12 मदरसों की प्रस्वीकृति प्राप्त कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इन प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान देने के संदर्भ में मंत्रिपरिषद् के निर्णय के अनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	अगर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मदरसों को अनुदान देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

25.7.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-04/2013......1887....../ दिनांक......25-07-13......../

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.7.13

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
-सह-विशेष सचिव,
झारखंड, राँची।

23

1405
25/7/13

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री बंधु तिर्की, स.वि.स. द्वारा प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–18

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	**श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 26.04.2013 को किया गया, जिसमें आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य था, जबकि बिहार एवं उत्तर प्रदेश में स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते है,	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 4(क) के अनुसार झारखण्ड राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम अहर्ता के रूप में भारत का नागरिक होना अनिवार्य किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वेबसाईट पर शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित सूचनाओं के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इन राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा में मात्र उन्हीं राज्य के निवासी आवेदन दे सकते हैं, का कोई बंधेज नहीं है। तथापि संबंधित दोनों राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षक नियुक्ति नियमावली में नियुक्ति प्रक्रिया का आधार मैट्रिक, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर प्राप्त अंक का प्रतिशत के आधार पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार की जायेगी,	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 21(क)(ख) के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अभ्यर्थियों के मेधांक के आधार पर किया जायेगा। मेधांक का निर्धारण शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक परीक्षा के साथ–साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर होगा।
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के Appearing छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है,	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 4(घ) के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण चर्या पूरी हो गयी हो और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन हो गया हो, भी शिक्षक अहर्त्ता जाँच परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। परन्तु उनकी अंतिम रूप से उत्तीर्णता शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के परिणाम पर निर्भर

		करेगा। प्रशिक्षण परीक्षा का अंक-पत्र/ प्रमाण-पत्र समर्पित करने हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत Appearing अभ्यर्थियों से प्राप्त अंक-पत्र/ प्रमाण-पत्र स्वीकार कर उनका परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में झारखण्ड के निवासी को ही अवसर देने तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित सभी Appearing छात्रों को परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में झारखण्ड सहित भारत के सभी नागरिक सम्मिलित हो सकते हैं, बशर्ते वे अन्य अनिवार्य अहर्त्ता एवं योग्यता धारित करते है।

(ममता) 25/7/13
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा-सह-
संयुक्त सचिव, झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

झापांक-.8/अ.2-01/2013....1405...../राँची, दिनांक- 25/7/13.........

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके झापांक 93, दिनांक 23.07.13 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ममता) 25/7/13
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा-सह-
संयुक्त सचिव, झारखण्ड।